UPSM010030022026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1191/2026

नरेश पुत्र पूरण, निवासी ग्राम टिटौली, थाना आदर्श मण्डी शामली, जिला शामली।

.... आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उ०प्र० राज्य

.... विपक्षी,

मु०अ०सं० 73/2019
धारा 376, 511 भा०दं०सं० व
7/8 पॉक्सो अधिनियम
थाना कैराना, जिला शामली।

दिनांकः–27.07.2026

1. यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **नरेश पुत्र पूरण** की ओर से बजरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी नरेश कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर है। माननीय न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गैरजमानतीय वारन्ट जारी कर दिये गये तथा थाना कैराना पुलिस द्वारा उसे गैरजमानतीय वारन्ट पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करोगा और प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होता रहेगा। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इस प्रकार आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया गया है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था। दौरान विचारण उसकी अनुपस्थिति के आधार पर उसके विरूद्ध दिनांक 22.09.2021 को गैर जमानतीय वारन्ट जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2026 को आवेदक/अभियुक्त को संबंधित थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे उक्त दिनांक को ही जिला कारागार भेजा गया। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है, जिसमें पीड़िता का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रतिबद्धता जाहिर की गयी है कि अग्रिम तिथियों के दौरान आवेदक/अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नरेश पुत्र पूरण** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक /अभियुक्त द्वारा अंकन रुपये 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि को दो नवीन स्थानीय प्रतिभू (जिसमें एक उसके परिवार का सदस्य हो) दाखिल करने पर इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि विचारण के दौरान अग्रिम तिथियों पर वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दिनांकः-27.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो),
शामली